भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 208
22.07.2024 को उत्तर के लिए

पराली जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण

208. श्री खगेन मुर्मु :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए योजना बना रही है;
(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पराली से इथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित करने वाली है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु प्रदूषण के निवारण के लिए "फसल अवशिष्ट प्रबंधन' को एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है। इस मामले में, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान राज्यों की सरकार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार, एनसीआर राज्यों के राज्य प्रदूषण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) एवं अन्य विविध हितधारकों तथा ज्ञानात्मक संस्थानों यथा-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), आदि के साथ विचार-विमर्श और चर्चा की गयी। इन बैठकों के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा पराली जलाने की घटना के प्रभावी निवारण और नियंत्रण के लिए एक कारगर कार्यढांचा तैयार किया गया है।

सीएक्यूएम निदेश दिनांक 10.06.2021 के माध्यम से पराली जलाने के प्रभावी निवारण एवं नियंत्रण के लिए कार्यढांचा जारी किया गया था और वर्ष 2021, 2022, और 2023 की सीख के आधार पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (एनसीआर जिले) की कार्य-योजनाओं को पराली के 'स्व-स्थाने' एवं 'बाह्य-स्थाने' प्रबंधन के लिए विभिन्न उपायों तथा साथ ही सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलापों एवं प्रवर्तन तंत्र सहित वर्ष 2024 के दौरान आगामी धान की फसल के लिए आगे और संशोधित एवं अद्यतित किया गया है।

सीएक्यूएम ने "वर्ष 2024 में पराली जलाने के निवारण और नियंत्रण के लिए अद्यतित/संशोधित योजना के कार्यान्वयन और समीक्षा" के संबंध में दिनांक 12.04.2024 को पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों को वैधानिक निर्देश जारी किए हैं।

सीएक्यूएम के उपरोक्त निर्देश के द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को वर्ष 2024 के दौरान धान की पराली जलाने की पूर्ण समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए अपनी-अपनी संशोधित कार्य-योजनाओं के अक्षरशः प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ निम्नलिखित पर ध्यान देने की सलाह दी है:

i. राज्य के सभी खेतों/किसानों को कवर करने के लिए धान की पराली के प्रबंधन के अभिज्ञात साधनों (सीआरएम मशीनरी के माध्यम से *स्व-स्थाने* प्रबंधन, बायोडीकंपोजर का उपयोग, आदि, ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में *बाह्य-स्थाने* प्रबंधन) का पूर्ण मानचित्रण करना।

ii. सीएचसी/एफपीओ/फार्म बैंक आदि में मशीनों की उपलब्धता और आवंटन की समीक्षा।

iii. सीएचसी की संख्या में वृद्धि तथा उसे उपयुक्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

vi. जुलाई-अगस्त 2024 तक, वर्ष 2024 के लिए व्यक्तियों/सीएचसी द्वारा सभी अभिज्ञात नई सीआरएम मशीनों की खरीद, अग्रिम रूप से सुनिश्चित करना।

v. सीएचसी/एफपीओ/कृषि बैंकों आदि के पास उपलब्ध मशीनरी का अनुकूलन और उपयोग बढ़ाना, गरीब और सीमांत किसानों को ऐसी मशीनों की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना।

vi. ग्राम/ब्लॉक स्तरीय दलों/अधिकारियों द्वारा निगरानी के साथ-साथ सीएचसी/एफपीओ/फार्म बैंक आदि में मशीनों के उपयोग के लिए आईटी/वेब आधारित निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना।

vii. पराली जलाने के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए आईईसी/संवेदीकरण गतिविधियों को जारी रखना और बढ़ाना।

viii. सख्त निगरानी और प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई के लिए नोडल/क्लस्टर/ग्राम स्तर के अधिकारियों की समय पर नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति।

ix. मानक इसरो प्रोटोकॉल के अनुसार उन खेतों/क्षेत्रों की पहचान और निरीक्षण के लिए तंत्र, जहां पराली जलाई जाती है, यदि कोई हो, तथा निर्धारित ई.सी. लगाने और वसूली सहित ऐसे कृषि अभिलेखों में रेड-एंट्री/जवाबदेही सुनिश्चित करना।

x. राज्य सरकार/जिला प्रशासन में विभिन्न स्तरों पर कार्यढांचे/राज्य विशिष्ट कार्य योजना के कार्यान्वयन की लगातार समीक्षा करना और इस पर कड़ी निगरानी रखना।

जीएनसीटी दिल्ली और राजस्थान सरकार को भी आगामी फसल कटाई के मौसम के दौरान धान की पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में हर संभव प्रयास करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, सीएक्यूएम के मार्गदर्शन में, इसरो ने फसल अवशिष्ट को जलाने की घटनाओं का अभिलेखन और निगरानी करने के लिए आईएआरआई सहित प्रमुख हितधारकों के परामर्श से एक मानक प्रोटोकॉल तैयार किया है, जिसे दिनांक 16.08.2021 को जारी कर दिया गया है, जिससे आग की घटनाओं/मामलों के तरह-तरह के आकलन से बचा जा सकेगा।

कृषि पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण की दिशा में सीएक्यूएम द्वारा विकसित कार्यढांचे में बायोमास/धान के भूसे की प्रभावी और निरंतर आपूर्ति एक महत्वपूर्ण घटक है। इस उद्देश्य से, पराली के "बाह्य-स्थाने" प्रबंधन के लिए कुशल और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को परामर्शिका जारी की गई थी।

आईएआरआई बुलेटिन्स के अनुसार, लगातार प्रयासों से वर्ष 2023 के दौरान धान-अवशिष्ट जलाने की घटनाओं में पंजाब में 27% और हरियाणा में 37% की कुल कमी देखी गई है।

धान अवशिष्ट जलाने की घटनाएँ (30 नवंबर, 2023 तक)

पंजाब			**हरियाणा**			**कुल (दिल्ली और राजस्थान के एनसीआर जिलों सहित)**		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
71304	49922	36663 (वर्ष 2022 की तुलना में 27% की कमी)	6987	3661	2303 (वर्ष 2022 की तुलना में 37% की कमी)	78550	53792	39186 (वर्ष 2022 की तुलना में 27% की कमी)

पानीपत (हरियाणा) में धान की पराली के फीडस्टॉक पर आधारित एक वाणिज्यिक द्वितीय पीढ़ी (2जी) इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र को 10 अगस्त, 2022 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है।

*****